

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय :-

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेतु नोडल एजेंसी आर०ई०सी० द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 2433.13 करोड़ रुपये की अनुमोदित स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 2433.13 करोड़ रुपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी आर०ई०सी० के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा (रुपये 243.31 करोड़) हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू-खण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति के आलोक में राज्य योजना से हिस्सा पूंजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 51 करोड़ (एकावन करोड़ रुपये) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :-

स्वीकृत।

कृषि कार्य हेतु कृषि फीडर एवं गैर कृषि फीडर के अलग होने से 24 X 7 विद्युत उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है साथ ही निर्धारित अवधि के लिए कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

2 इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रायोजित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः बड़ी संख्या में शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण, कृषि एवं गैर कृषि फीडरों को अलग करना, वितरण एवं उप-संचरण का सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा मीटरीकरण का कार्य करने की योजना है।

3 केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी आर०ई०सी० द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 245.30 करोड़ रुपये (परियोजना प्रबंधन एजेंसी शुल्क सहित) है। जिसमें राज्य की हिस्सा पूंजी 243.31 करोड़ रुपये के विरुद्ध विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 161 दिनांक 24.01.2017 का द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि 75 करोड़ भुगतान हेतु दी गई स्वीकृति के अतिरिक्त साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना के पत्रांक 156 दिनांक 09.03.2017 के द्वारा 51 करोड़ (एकावन करोड़ रुपये) रुपये उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

4 अतएव राज्यदेश संख्या- 2453, दिनांक- 23.08.2015 से राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण वितरण एवं संचरण लाईन सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेतु नोडल एजेंसी आर०ई०सी० द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 2433.13 करोड़ रुपये की अनुमोदित योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 2433.13 करोड़ रुपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी आर०ई०सी० के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा (रुपये 243.31 करोड़) हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू-खण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से हिस्सा पूंजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 51 करोड़ (एकावन करोड़ रुपये) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5 यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग संख्या- 10 उपशीर्ष -0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना विपत्र कोड- P4801051900106 विषय शीर्ष- 54 01 निवेश के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6 इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से किया जायेगा।

7 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8 इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0 एल0 खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0048-नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, व्यय शीर्ष एल0 8448001200048 एवं प्राप्तियाँ-के0-8448001200048 में जमा की जाएगी।

9 उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/ऊर्जा-DDUGJY 03/2015 के पृष्ठ संख्या- 07/टि० पर दिनांक 22.08.2015 को प्राप्त है।

10 राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/ऊर्जा-DDUGJY 03/2015 के पृष्ठ संख्या- ~~28~~...../टि० पर दिनांक-~~16.03.2017~~ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- प्र०/ऊर्जा-DDUGJY 03/2015 _____

दिनांक _____

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- प्र०/ऊर्जा-DDUGJY 03/2015 930

दिनांक 16/03/2017

प्रतिलिपि:- बजट शाखा, वित्त विभाग, /बजट शाखा/लेखा शाखा/रोकड़ शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/आईटी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि०/प्रबन्ध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०/उप महाप्रबंधक, (वित्त एवं लेखा) बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि०/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।